27.9.23 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट स्वयं एवं वकील अपीलान्ट को बार-बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। बावजूद सूचना अपीलान्ट का उपस्थित नहीं होना, उनकी न्याय मंशा नहीं दर्शाता है। अपीलान्ट के नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण यह पत्रावली अल्प हाजरी अल्प पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद पूर्ण दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर